

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 309]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 22 जुलाई 2014—आषाढ़ 31, शक 1936

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 22 जुलाई 2014

फा. क्र. 15-1-2014-इक्कीस-ब(दो).—यतः मध्यप्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि चौदहवीं मध्यप्रदेश विधान सभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है:

अतएव, मध्यप्रदेश के राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 333 द्वारा उनको प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीमती लोरेन. बी. लोबो पत्नी स्वर्गीय एल. जी. लोबो, 53, डेनिंग रोड, साऊथ सिविल लाईन्स, जबलपुर को उक्त विधान सभा के सदस्य के रूप में नाम निर्देशित करते हैं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्रहास. व्ही. सिरपुरकर, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 22 जुलाई 2014

फा. क्र. 15-1-2014-इक्कीस-ब(दो).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 15-1-2014-इक्कीस-ब(दो), दिनांक 22 जुलाई, 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्रहास. व्ही. सिरपुरकर, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 22nd July 2014

F. No. 15-1-2014-XXI-B(II).—Whereas, the Governor of Madhya Pradesh is of opinion that the Anglo-Indian Community is not adequately represented in the Fourteenth Madhya Pradesh Legislative Assembly;

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred on him Article 333 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to nominate Smt. Loraine B. Lobo W/o Late L. G. Lobo, 53, Dening Road South Civil Lines, Jabalpur, Madhya Pradesh, to be a member of the said Legislative Assembly.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
CHANDRAHAS. V. SIRPURKAR, Principal Secy.